जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा

उपभोक्ता क्लब

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24-12-2022

उपभोक्ता क्लब (Consumer Club) का गठन स्टूडेंट्स और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने और शोषण से बचाने के लिए किया गया है | इसके तहत महाविद्यालय में छात्राओ का उपभोक्ता समूह बनाया गया है जो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में रुचि रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करेगा. साथ ही यह समूह उपभोक्ता संरक्षण विषयक गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेगा.

डॉ रेखा कालानी – प्रभारी

सुश्री प्रीती बैरवा – सदस्य

संजू माहिच – सदस्य

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

दिनांक 24 दिसंबर 2022 को जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा में उपभोक्ता क्लब के तत्वाधान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया | जिसमे उपस्थित उपभोक्ता क्लब, प्रभारी डॉ रेखा कालानी ने छात्राओ को बताया की देश में उपभोक्ताओं के महत्त्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। प्राचार्य डॉ संजय भार्गव ने छात्राओ को अपने उद्बोधन में ग्राहक को मिलने वाले अधिकारों के बारे में जानकारी दी | जेसे **राइट टू सेफ्टी** किसी भी ग्राहक को मिलने वाला पहला अधिकार है. कोई दुकानदार ग्राहकों को कोई भी खराब सामान नहीं बेच सकता है. सामान बेचते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है. **राइट टू इन्फॉर्मेशन** दूसरा अधिकार है जो किसी भी ग्राहक को मिलता है. इसके जरिए ग्राहकों को यह हक है कि वह जान सके कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता और मात्रा कितनी है. इसके साथ ही प्रोडक्ट के दाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ग्राहक के पास है. **राइट टू चूज** के जरिये ग्राहकों को चुनने का अधिकार मिलता है. कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट, कंपनी या सर्विस को अपनी

जरूरत और इच्छा के अनुसार चुन सकता है. कार्यक्रम का आयोजन उपभोक्ता क्लब सदस्य सुश्री प्रीति बेरवा व संजू माहिच के द्वारा किया |

प्राचार्य

[illegible] कन्या महाविद्यालय, [illegible]